न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(रामकरण सिंह, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :— 163/2024

निर्णय दिनांक :— 15.10.2025

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र कालूराम जाति मीना निवासी गोरधनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर हॉल निवासी सूरज का खेडा तहसील निवाई जिला टोंक
2. लादूराम पुत्र कालूराम जाति मीना निवासी गोरधनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर हॉल निवासी सूरज का खेडा तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत दुरुस्त किये जाने जमाबन्दी व शीट

उपस्थित :—

1. **श्री कन्हैयालाल मीणा, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **पेरोकार सरकार**

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षिप्त में है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 63/19 रकबा 6.6267 हैक्टेयर वाके ग्राम सूरज का खेडा तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण पूर्णतया काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त भूमि का पूर्व में मूल ख0नं0 63/12 था। लोक अदालत में विभाजन आदेश पारित कर ख0नं0 63/12 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा श्रवणलाल पुत्र जगदीश मीणा सा. नगरियावाला तह. सांगानेर के हिस्से में एवं ख0नं0 63/19 शां.नं. 63/21 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थीगण के हिस्से में रखी गयी। तथा ख0नं0 63/13 रकबा 3 बिस्वा कुआं व ख0नं0 63/20 रकबा 9 बिस्वा रास्ता को शामलाती रखते हुये दिनांक 01.09.2015 को नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। प्रार्थीगण के हिस्से में रखा गया ख0नं0 63/19 का बटंवारा करते हुये ख0नं0 63/19 व ख0नं0 63/21 अंकित किये गये जो पटवारी हल्का द्वारा जारी ट्रेस से साबित व प्रमाणित है। तहसीलदार निवाई को प्रार्थना पत्र देने के बाद पटवारी हल्का सुनारा द्वितीय द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी उक्त बंटवारें को सही मानते हुये ख0नं0 63/19 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा व ख0नं0 63/21 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा नवसृजित खसरा नम्बर का अंकन कर ऑनलाईन शीट में दुरुस्ती किया जाना अपेक्षित माना है। मौके पर प्रार्थीगण उक्त अनुसार ही काबिज है। अतः ख0नं0 63/19 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा व ख0नं0 63/21 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा का अंकन करवाया जाकर ऑनलाईन नम्बर डलवाया जाकर राजस्व शीट व जमाबन्दी को अपडेट किया जाने का आदेश प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय सगंत है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया।

अप्रार्थी/तहसीलदार निवाई ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अंकित है। उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा है। लोक अदालत कैम्प सुनारा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

14.07.2015 को तहसीलदार निवाई के आदेश से खसरा नंबर 63/12 रकबा 52 बीघा 17 बिस्वा व 63/13 रकबा 6 बिस्वा का सहमति विभाजन आदेश पारित किये गये जिसका नामांतरण संख्या 431 भरा गया उक्त विभाजन आदेश एवं नामांतरण के अनुसार खसरा नंबर 63/13 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा श्रवणलाल पुत्र जगदीश मीणा सा. नगरियावाला तहसील सांगानेर, खसरा नंबर 63/19 शा.न. 63/21 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा लादूराम, रामजीलाल पि. कालूराम मीणा सा. गोरधनपुरा तहसील चाकसू एवं खसरा नंबर 63/13 रकबा 3 बिस्वा व 63/20 रकबा 9 बिस्वा शामलाती रूप से दर्ज किया गया। जमाबंदी में अंकन करते वक्त खसरा नंबर 63/19 के साथ शामिल नंबर 63/21 का इंद्राज होने से रह गया, जिसे दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एंव पैरोकार सरकार पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत दुरुस्त किये जाने जमाबंदी व शीट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि 63/19 शा.न. 63/21 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सूरज का खेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तकासमा आदेश के नामांतकरण का जमाबंदी में इंद्राज करते समय त्रुटिवश खसरा नंबर 63/19 के साथ शामिल नंबर 63/21 का इंद्राज नहीं होना पाया गया जिसको मुताबिक नामांतकरण संख्या 431 के दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम सूरज का खेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक में खसरा नंबर 63/19 रकबा 6.6267 हेक्टेयर में खसरा नंबर 63/21 को शामिल नंबर के रूप में अंकित करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में इसी मुताबिक इन्द्राज करते हुये राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकरण सिंह
उपखण्ड (आर.ए.एस) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी निवाई